>

Title : Need to accord approval to the proposal of Government of Himachal Pradesh to levy tax on generation of power in the State.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं सीमावर्ती प्रांत है। वहां मुख्य रूप से जल विद्युत और वन सम्पदा ही मिनरल के रूप में उपलब्ध है। हिमाचल प्रदेश में जल विद्युत परियोजनाओं में पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट जेनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान करने का प्रकरण अनेक बार प्रदेश सरकार की ओर से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। इस संबंध में रंगराजन कमेटी ने भी हिमाचल प्रदेश को जेनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति देने की अनुशंसा की थी। इंडो-गैंजेटिक प्लेन की एनवायरनमेंटल इकौलौजी को बचाने की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश ने स्वयंमेव निर्णय लिया है कि वन-वर्धन (सिलवीकलचर) हेतु अथवा सिलेक्टिव साइंटिफिक फैलिंग के अंतर्गत भी वनों को बिल्कुल नहीं काटा जायेगा। इस कारण भी उसे प्रतिवर्ष हजारों करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हो रही है। अतः प्रदेश को वहां पैदा होने वाली विद्युत पर 10 पैसे प्रति यूनिट जेनरेशन टैक्स लगाने की अनुमति प्रदान की जाये।